लोक शिक्षण संचालनालय

गौतम नगर, भोपाल–462021
ई–मेल jdfbudget@gmail.com

क्रमांक / वित्त–ए / एनसी / जे / वेतनसंरक्षण / 2021–22 / 350 भोपाल, दिनांक 15-03-22

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
मध्य प्रदेश ।

विषय :– नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त हुए लोक सेवकों को स्टायपेंड व वेतन भुगतान के संबंध में निर्देश।

:: 00 ::

उपरोक्त विषय के संबंध में लोक सेवकों के आवेदन–पत्रों व दूरभाष के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि अनेक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा माध्यमिक शिक्षक / उच्च माध्यमिक शिक्षक के पदों पर नियुक्त परिवीक्षाधीन, ऐसे कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है, जो पूर्व से अन्य विभाग में स्थाई व अस्थाई कार्यरत थे तथा प्राथमिक शिक्षक व माध्यमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत थे, जो उचित माध्यम से उच्च पद पर नवीन शैक्षणिक संवर्ग के पदों पर नियुक्त हुये हैं।

पूर्व से कार्यरत स्थाई कर्मचारियों के मामले में वित्त विभाग के 06 फरवरी 2020 के स्पष्ट निर्देश हैं, जिनकी वेतन संरक्षण व वेतन आहरण के संबंध में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। जैसा कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी नागौद का उदाहरण सामने आया है कि उनके द्वारा पूर्व से कार्यरत स्थाई कर्मचारी के वेतन नियमन एवं आहरण के संबंध में मार्गदर्शन चाहा जा रहा है।

पूर्व से कार्यरत स्थायी कर्मचारियों के मामले में मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ / 8–2 / 2020 / नियम / चार, दिनांक 06 फरवरी 2020 में स्पष्ट किया गया है कि उनका वेतन का निर्धारण 22 या 22 डी के अंतर्गत, जैसी भी स्थिति हो नियत किया जायेगा।

साथ ही उन्हें विकल्प देने के लिए भी स्पष्ट किया गया है "यह समक्ष में आया है कि ऐसे शासकीय सेवकों का जिनका वेतन निर्धारण 22 सी (1)(ब) के अन्तर्गत होना है, को विकल्प की सुविधा नहीं होने से कनिष्ठ से कम वेतन प्राप्त होने की स्थिति बनती है। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य शासन के सेवारत जो कि प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से राज्य शासन में ही उच्च वेतनमान के पद पर चयनित हुए हैं एवं जिनका वेतन निर्धारण मूलभूत नियम 22(सी)(1)(ब) के अन्तर्गत किया जाना है, उन्हें सीधी भर्ती के पद पर वेतन निर्धारण के लिए तिथि चयन का विकल्प दिया जाए।"

परन्तुक में अस्थाई कर्मचारियों के मामले में स्पष्ट किया गया है कि "परन्तु यदि शासकीय सेवक पूर्व पद पर अस्थाई रहते हुए वेतन आहरित कर रहा था तो इस प्रकार से मूल नियम –22 या 22–डी के प्रावधानों के अनुसार वेतन निर्धारण नहीं होगा

Scanned with CamScanner

तथा वह पद या रोवा के समयमान वेतन आहरित करता रहेगा।" अर्थात् ऐसे कर्मचारियों के वेतन संरक्षण के संबंध में मार्गदर्शन वित्त विभाग से चाहा गया है, जिनका स्थायीकरण नहीं हुआ था और उच्च पद पर नियुक्ति हुई है, उन्हें वैकल्पिक तौर पर मार्गदर्शन अपेक्षित होने तक वर्तमान में स्टायपेंड 70 प्रतिशत के बराबर ही वेतन का अंतरिम रूप से भुगतान किया जावे तथा अंतिम निर्णय वित्त विभाग से अभिगत प्राप्त होने के बाद पृथक से निर्देश जारी किये जावेंगे।

अतएव वेतन संरक्षण की कार्यवाही न हो पाने के अभाव में, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा उनकी नवीन पद पर नियुक्ति के वेतन का 70 प्रतिशत राशि का भी आहरण नहीं करना, अप्रिय स्थिति को निर्मित करता है।

इस प्रकार पूर्व से (दिनांक 01.07.2018 या 01.07.2018 के बाद की दिनांक से) नियुक्त नवीन शैक्षणिक संवर्ग के लोक सेवक यथा प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति माध्यमिक शिक्षक/उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर एवं प्राथमिक शिक्षक/माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर उचित माध्यम से अनापत्ति के बाद हुई हैं, उन कर्मचारियों के मामले में वेतन संरक्षण की प्रक्रिया वित्त विभाग में प्रचलन में है। वित्त विभाग से मार्गदर्शन होने की तिथि तक, अभी वर्तमान में 70 प्रतिशत स्टायपेंड का भुगतान ही वैकल्पिक के तौर पर अंतरिम रूप से किया जावे तथा वित्त विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद पृथक से, अंतिम रूप से निर्देश जारी किये जावेंगे।

अतः ऐसे कर्मचारियों का जिनका पूर्व में स्थाईकरण नहीं हुआ है एवं नवीन शैक्षणिक संवर्ग में 01.07.2018 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारी उच्च पद के नवीन शैक्षणिक संवर्ग माध्यमिक शिक्षक/उच्च माध्यमिक शिक्षक के पर पर नियुक्त हुये हैं, उनका वेतन आहरण, नवीन पद पर नियुक्ति के वेतन का 70 प्रतिशत स्टायपेंड का अंतरिम रूप से शीघ्र भुगतान कराना सुनिश्चित करें।

कुछ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा यह अवश्य अवगत कराया गया है कि पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों को प्राप्त हो रही वेतन का नवीन पद पर नियुक्ति के वेतन का 70 प्रतिशत IFMIS में व्यवस्था नहीं होने से वेतन आहरण में समस्या उत्पन्न हो रही है।

अर्थात् IFMIS प्रणाली में पूर्व से कार्यरत नवीन संवर्ग के शिक्षकों की, वर्तमान में नियुक्त पद के वेतन के 70 प्रतिशत स्टायपेंड की व्यवस्था न होने की स्थिति में वैकल्पिक तौर पर Manual गणना करके, वेतन के 70 प्रतिशत के बराबर राशि निकालकर, वर्तमान में फीड पे–रिकार्ड की वेतन में स्टॉप सैलरी करके 70 प्रतिशत स्टायपेंड के बराबर राशि आहरण करने की व्यवस्था करें।

(अभय वर्मा)
आयुक्त
लोक शिक्षण भोपाल

Scanned with CamScanner

पृ. क्रमांक/वित्त–ए/एनसी/जे/वेतनसंरक्षण/2021–22/351 भोपाल, दिनांक 15-03-22

प्रतिलिपि–

1. अपर संचालक, स्था –2 एवं स्था–3, यूसीआर लोक शिक्षण संचा. भोपाल।
2. संयुक्त संचालक (वित्त) लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल।
3. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्य प्रदेश।
4. समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, मध्य प्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त
लोक शिक्षण भोपाल

Scanned with CamScanner